बीस रुपये TWENTY RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म0 प्र0

प्र0 क्र0 /16 निग-1905-I-16

225

1. हनुमंत पुत्र फन्दु यादव आयु 40 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम देवपुर तहसील घुवारा जिला छतरपुर म0प्र0।
2. गुलाब पुत्र नन्हे भाई आयु 50 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम देवपुर तहसील घुवारा जिला छतरपुर म0प्र0।

आवेदकगण

विरूद्ध

1. शिवाजीशाह बुंदेला पुत्र श्री उदय विक्रम सिंह बुंदेल व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम देवपुर तहसील घुवारा जिला छतरपुर म0प्र0।

2. मध्यप्रदेश राजस्व निरीक्षक घुवारा जिला छतरपुर।

अनावेदकगण

राजस्व निरीक्षक घुवारा द्वारा प्र0 क्र0 37/A-12/13-14 में पारित आदेश दिनांक 19/1/14 को निरस्त किये जाने हेतु निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सहिता।

माननीय न्यायलय ~~द्वारा~~,

सनिवय निगरानी आवेदन आवेदकगण की ओर सादर प्रस्तुत है।

1. ग्राम देवपुर तहसील घुवारा जिला छतरपुर की भुमि सर्वे क्र0 503 रकवा 0.420 हैक्टर शासकीय भूमि है। जो राजस्व अभिलेख में भी अंकित है। उक्त भूमि पर आवेदकण व अन्य ग्रामवासियों के मकान पूर्वजों के समय से बने हुये है। आवेदक गुलाब का मकान आवेदक के पिता के जीवन काल से बना होकर लगभग 70 वर्ष पुराना है। तथा आवेदक हनुमंत का मकान 50--60 साल पुराना है। जिसमे आवेदकगण अपने परिवार सहित निवास करते है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1905-एक/2016 जिला छतरपुर हनुमंत विरूद्ध शिवाजीशाह व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक धुवारा तहसील धुवारा के प्रकरण क्रमांक 37/ए-12/2013-14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 19-07-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 10.01.19 सदस्य	